

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA,
CHANDIGARH

श्री/सुश्री _____ जो दिनांक _____ को
सरकारी सेवा से _____ हो रहे/रही हैं को दिनांक _____ से
_____ तक की अवधि के लिए केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना
(सीजीईजीआईएस) 1980 के तहत बीमा निधि, बचत निधि से लाभ के रूप में
रुपये _____ (_____) के भुगतान के लिए
उप-महालेखाकार (प्रशासन) की संस्वीकृति एतदद्वारा सूचित की जाती है।

Sanction of Dy. Accountant General (Admn) is hereby conveyed to the payment of
Rs. _____ (_____) being the benefit from
the insurance fund, saving fund under Central Government Employees Group Insurance
Scheme 1980 for the period from _____ to _____ to
Sh./Ms _____ who _____
from the Government service with effect from _____.

इसमें शामिल व्यय शीर्ष 8011 बीमा और पेंशन सीजीईजीआईएस, 1980 बीमा निधि/बचत निधि में
डेबिटेबल है।

The expenditure involved is debitable to the head 8011 Insurance and pension CGEGIS
1980 Insurance fund/saving fund.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हकदारी-1)
Sr. Audit Officer (Entt-I)

संख्या/No.: हकदारी/Entt-1/संस्वीकृति/sanction/

दिनांक/Dated:

इसकी प्रति वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पंजाब, चंडीगढ़
को प्रेषित है।

Copy forwarded to Pay and Accounts Officer O/o the Pr. Accountant General (A&E)
Punjab, Chandigarh.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हकदारी-1)
Sr. Audit Officer (Entt-I)